न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS ।

अपील संख्या 199/2020 जिला दौसा ।

मदनलाल पुत्र अर्जुन जाति गुर्जर निवासी निमाली तह0 जिला दौसा।

अपीलान्ट्

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र अर्जुन
2. शिवचरण पुत्र रामकिशोर
3. धर्मसिंह पुत्र रामकिशोर
4. राफूल पुत्र अर्जुन
   जाति गुर्जर निवासी निमाली तह0 दौसा
5. ग्राम पंचायत कालोता हाल ग्राम पंचायत निमाली पंचायत समिति दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.12.2019 उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 07/2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हेमराज गुर्जर।
2. वकील रेस्पोडेंट श्री अशोक कुमार जोशी।

निर्णय

दिनांक–16.11.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.12.2019 के खिलाफ दिनांक 21.01.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 01.12.1966 वाके ग्राम निमाली को ग्राम पंचायत कालोता द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा शीर्षक अपील मदनलाल बनाम रामजीलाल वगैराह को निर्णय दिनांक 10.12.2019 के द्वारा खारीज किया गया।
4. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 एवं नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 18.12.1966 ग्राम पंचायत कालोता तह0 दौसा को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटन संख्या 05 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 4 की बहस सुनी गई।
6. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट का पिता वर्ष 1959 में फौत हो गया था । पिता के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण वैधानिक रीति से किया जाना था। मृतक खातेदार अर्जुन के चार पुत्र रामजीलाल, रामकिशोर, रामफूल व मदनलाल थे। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का नाम तो रिकार्ड में सही दर्ज कर दिया परन्तु अपीलांट का सही नाम मदन लाल के बजाय मेवा अंकित कर दिया गया। जबकि अपीलांट का सही नाम विधालय रिकार्ड में, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में अपीलांट का सही नाम मदनलाल अंकित है। अपीलांट का सवत 2023 से आज दिवस तक अपीलांट् का नाम अशुद्ध अंकन चला आ रहा है। इस तथ्य की जानकारी अपीलांट का पटवारी हल्का से हुई अपीलांट् के द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर, सही नाम के आवश्यक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दस्तावेजात के साथ दफा 05 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा महज शजरा खानदान एवं मियाद के बिन्दु पर अपील सरसरी तौर पर खारित फरमा दी गई । अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में मेवाराम दर्ज करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रमाण पत्र पंच रिपोर्ट आदि नही ली गई। अपीलांट को सुने बिना गलत नाम से नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा तस्दीक करवाया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई जांच नही की गई है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया जिसका किसी भी पक्षकर ने विरोध नही किया है तो फिर भी अपील निराधार वैग पूर्ण खारिज फरमा दी गई। मियाद का बिन्दु प्रोसीजरल है। किसी भी प्रकार के विधि वियद्ध शून्य आदेश को बिना सुने ही जारी आदेश के विरूद्ध एसी अपील न्यायहित में श्रवण योग्य मानी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयो में यह प्रतिपादित किया गया है उस पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई रूलिंग का कोई हवाला नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 05 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज करने में भारी भूल कारित की गई है। अपीलांट का शजरा खानदार निम्न है:–

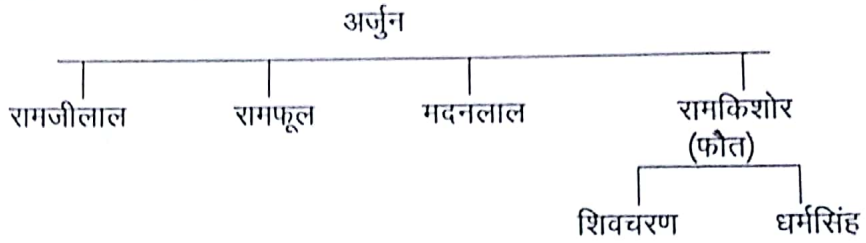

अपीलांट पैतृक आराजीयात संयुक्त खातेदारी में हिस्सा 1/4 का हकदार काबिज काश्तकार है। अपीलांट् द्वारा अपने हक अधिकार की आराजीयात को आज दिनांक तक रहन व अन्तरण नही किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल न्याय नियम प्रकिया होने के गर्ज से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 एवं नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 18.12.1966 ग्राम पंचायत कालोता तह0 दौसा को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील को स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गई।

8. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 01.12.1966 ग्राम निमाली के संबंध में है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट का पिता वर्ष 1959 में फौत हो गया था। पिता के फौत होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण वैधानिक रीति से किया जाना था। मृतक खातेदार अर्जुन के चार पुत्र रामजीलाल, रामकिशोर, रामफूल व मदनलाल थे। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का नाम तो रिकार्ड में सही दर्ज कर दिया परन्तु अपीलांट का सही नाम मदन लाल के बजाय मेवा अंकित कर दिया गया। जबकि अपीलांट का सही नाम विधालय रिकार्ड में, राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में अपीलांट का सही नाम मदनलाल अंकित है। अपीलांट का सवत 2023 से आज दिवस तक अपीलांट् का नाम अशुद्ध अंकन चला आ रहा है। इस तथ्य की जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का से हुई अपीलांट् के द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर, सही नाम के आवश्यक दस्तावेजात के साथ दफा 05 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र के साथ अपील अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 18.12.1966 ग्राम पंचायत कालोता को चुनौती दी गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में दिनांक 10.12.2019 को निर्णय पारित कर अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से तथा अपीलांट ने अपनी वंशावली का शजरा अपील में अंकित नही करने से खारिज की गई।

Scanned by CamScanner

9. हम समझते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 01.12.1966 ग्राम निमाली के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही कर केवल मात्र अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अस्वीकार कर अपील मियाद बाहर होने से एवं वंशावली का सजरा अपील में अंकित नही करने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.12.2019 से अपीलांट की अपील खारिज की दी गई जबकि रेस्पोडेंटस द्वारा अपील को स्वीकार करने में अपनी सहमति जाहिर की गई है तथा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के खिलाफ किसी भी पक्षकार द्वारा विरोध नही किया गया। हम समझते है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर एकतरफा तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है तथा बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा अपीलांट् की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.219 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner